

प्रेषक,

निदेशक (शैक्षणिक),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
प्रखण्ड शिक्षा एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय,
मुसापुर, कटिहार।

पटना, दिनांक : 6/9 / 2018

विषय : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमन संबद्धता मानदंड तथा प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 (यथा अद्यतन संशोधित) के आलोक में अतिरिक्त प्रवेश क्षमता में की गयी सीट बढ़ोतरी का संबद्धता प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि आपके संस्थान को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर, उड़ीसा/नई दिल्ली का पत्रांक ERCAPP2335, दिनांक 05.10.2017 के द्वारा सत्र 2018-19 से 01 यूनिट (50) सीट की अतिरिक्त प्रवेश क्षमता में बढ़ोतरी से संबंधित प्रदत्त मान्यता के परिप्रेक्ष्य में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमन संबद्धता मानदंड तथा प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 (यथा अद्यतन संशोधित) एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 6790/2017 एवं CWJC No.5247/2017 में दिनांक 19.12.2017 को पारित न्यायादेश के आलोक में एन.सी.टी.ई. से अतिरिक्त प्रवेश क्षमता में की गयी सीट वृद्धि :-

1. ERC NCTE के पत्रांक ERCAPP2335, दिनांक 05.10.2017 के द्वारा 01 यूनिट (50) सीट के लिए अतिरिक्त प्रवेश क्षमता में की गयी बढ़ोतरी से संबंधित प्रदत्त मान्यता के सत्र 2018-19 से समिति द्वारा संबद्ध (Deemed to be affiliated) समझा जाएगा।
- i. संस्थान को एन.सी.टी.ई. से समय-समय पर निर्गत अधिनियमों, नियमों, एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- ii. संस्थान को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमन संबद्धता मानदंड तथा प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 (यथा अद्यतन संशोधित) में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- iii. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमन संबद्धता मानदंड तथा प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 एवं NCTE Regulation, में निर्धारित शर्तों के अधीन समय-समय पर पदाधिकारियों/विशेषज्ञों के माध्यम से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सक्षम होगी।

विश्वासभाजन

निदेशक (शैक्षणिक),

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

पटना, दिनांक 6/9 / 2018

ज्ञापांक : टी.टी.प्रे. 827 / 2018

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय निदेशक ERC NCTE क्षेत्रीय कार्यालय, नीलकंठ नगर, नयापल्ली, भुवनेश्वर, उड़ीसा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष के आप्त सचिव एवं सचिव के आप्त सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक (शैक्षणिक),

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

पटना, दिनांक 6/9 / 2018

ज्ञापांक : टी.टी.प्रे. 827 / 2018

प्रतिलिपि : परीक्षा नियंत्रक, विविध (माध्यमिक प्रभाग), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (शैक्षणिक),

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

पत्रांक : टी.टी.प्रे. : 826 / 2018
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

प्रेषक,
निदेशक (शैक्षणिक),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

सेवा में,
प्राचार्य/प्राचार्या,
बी.एन.आर. ट्रेनिंग कॉलेज,
गुलजारबाग, पटना।

पटना, दिनांक : 6/9 / 2018

विषय : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमन संबद्धता मानदंड तथा प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 (यथा अद्यतन संशोधित) के आलोक में अतिरिक्त प्रवेश क्षमता में की गयी सीट बढ़ोतरी का संबद्धता प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि आपके संस्थान को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर, उड़ीसा/नई दिल्ली का पत्रांक ERCAPP2242, दिनांक 05.12.2016 के द्वारा सत्र 2017-18 से 01 यूनिट (50) सीट की अतिरिक्त प्रवेश क्षमता में बढ़ोतरी से संबंधित प्रदत्त मान्यता के परिप्रेक्ष्य में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमन संबद्धता मानदंड तथा प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 (यथा अद्यतन संशोधित) एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 6790/2017 एवं CWJC No.5247/2017 में दिनांक 19.12.2017 को पारित न्यायादेश के आलोक में एन.सी.टी.ई. से अतिरिक्त प्रवेश क्षमता में की गयी सीट वृद्धि :-

1. ERCAPP2242, दिनांक 05.12.2016 के द्वारा सत्र 2017-18 से 01 यूनिट (50) सीट के लिए अतिरिक्त प्रवेश क्षमता में की गयी बढ़ोतरी से संबंधित प्रदत्त मान्यता के सत्र 2017-18 से समिति द्वारा संबद्ध (Deemed to be affiliated) समझा जाएगा।
- i. संस्थान को एन.सी.टी.ई. से समय-समय पर निर्गत अधिनियमों, नियमों, एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- ii. संस्थान को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमन संबद्धता मानदंड तथा प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 (यथा अद्यतन संशोधित) में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- iii. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमन संबद्धता मानदंड तथा प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 एवं NCTE Regulation, में निर्धारित शर्तों के अधीन समय-समय पर पदाधिकारियों/विशेषज्ञों के माध्यम से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सक्षम होगी।

विश्वासभाजन

निदेशक (शैक्षणिक),

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

पटना, दिनांक 6/9 / 2018

ज्ञापांक : टी.टी.प्रे. : 826 / 2018

प्रतिलिपि :

क्षेत्रीय निदेशक ERC NCTE क्षेत्रीय कार्यालय, नीलकंठ नगर, नयापल्ली, भुवनेश्वर, उड़ीसा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष के आप्त सचिव एवं सचिव के आप्त सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक (शैक्षणिक),

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

पटना, दिनांक 6/9 / 2018

ज्ञापांक : टी.टी.प्रे. : 826 / 2018

प्रतिलिपि :

परीक्षा नियंत्रक, विविध (माध्यमिक प्रभाग), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (शैक्षणिक),

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17